जिला रीवा

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिविजन

निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6182

विविध-0630/2019/रीवा/भू.रा.

(23)

COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

आर.पी. द्विवेदी अभि. 21-5-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-6-19 नियत।

महावीर तनय कैलाशपति
ग्राम सेमरी त. डभौरा जिला रीवा म.प्र. आवेदक

बनाम

संकट मोचन तनय रामजीप्रसाद
ग्राम सेमरी त. डभौरा जिला रीवा (म.प्र.) अनावेदक

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1950 के धारा 32 के तहत

विषय- प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने बावत्
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र निम्न लिखित है।

1 यह कि उपरोक्त प्रकरण माननीय के न्यायालय मे विचाराधीन था. जिसकी नियत दिनांक 12/4/19 थी.

2. यह कि प्रार्थी के बाबा का स्वर्गवास हो जाने से प्रार्थी कार्यालीन बाबू को अवगत कराके गांव चला गया था जिसकी अनुपस्थिति के कारण उपरोक्त प्रकरण खारिज कर दिया गया.

3. यह कि श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण को पुनः नम्बर मे लेने की कृपा करें।

दिनांक 21/5/19

प्रार्थी

द्वारा अधिवक्ता आर.पी. द्विवेदी

(V.K. SHUKLA)
Advocate 21.5.19

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - विविध-0630/2019/रीवा/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31/07/2019 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.के. शुक्ला उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल प्रकरण क्र. दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6182 में पेशी दिनांक 12.04.2019 को आवेदक अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। उक्त कारण से तत्कालीन सदस्य द्वारा मूल प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया, जो उचित है। तत्कालीन सदस्य द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आवेदक अधिवक्ता को समय-समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई, परंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मूल अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा मूल प्रकरण में प्रस्तुत वकालतनामा में एक से अधिक अधिवक्ताओं के नाम हैं, जिनमें से उक्त दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा दिये गए तर्क न्यायोचित नहीं हैं, जिन्हे मान्य नहीं किया जा सकता। दर्शित परिस्थिति में यह विविध आवेदन खारिज किया जाता है। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।<br><br>**(महेश चन्द्र चौधरी)**<br>**सदस्य** | |